नगर परिषद पालमपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2014

भाग—एक

1 प्रस्तावनाः—

ग्यारहवाँ वित्त आयोग की सिफारिश के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1—376/81—फिन (एल0ए0) खण्ड—(ख) iv, दिनाँक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों क लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभागश को सौंपा गया, तदानुसार नगर परिषद पालमपुर क लेखों का अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2014, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं, किया गया।

(क) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा पुराने पैरों के निपटारे हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये हैं परिणामस्वरूप अंकेक्षण अवधि 4/68 से वर्तमान अंकेक्षण तक अर्थात पिछले 46 वर्षों से निपटारे हेतु शेष 241 पैरे बकाया है जो एक चिन्तनीय विषय है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है। परामर्श दिया जाता है कि लम्बित पैरों के निपटारे हेतु अविलम्ब विशेष प्रयास किए जाए व की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों नवीनतम स्थिति इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

नगर परिषद पालमपुर क लेखो अवधि 4/2012 से 3/2014 का वर्तमान अंकेक्षण श्री अशोक कुमार सूद (सहायक नियंत्रक, ले0प0) व श्री भवनीश पुरी (आर्टिकल असिस्टैंट) द्वारा दिनाँक 7.10.14 से 12.11.14 तक के दौरान पालमपुर में किया गया जिस के परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है, लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2012—13	5/12	8/12
2013—14	2/14	7/13

अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रधान (नगर परिषद) व कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद) के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान की गई।

प्रधान नगर परिषद

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री बलवंत ठाकुर	1.4.2012 से 31.3.2014

कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद)

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री चमन लाल	1.4.2012 से 51.5.2013
2	श्री देस राज चौधरी	22.5.2013 से 31.3.2014

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एव् अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवार नहीं है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः—

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का सार	राशि (₹) लाखों में
1	5	दिनाँक 31.3.14 को अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	62.14
2	6 (क)	गृहकर की राशि वसूली हेतु शेष	30.44
3	6 (ख)	गृह कर की दरों में नियमानुसार संशोधन न करने के कारण परिषद को वित्तीय हानि	23.79
4	7	दिनाँक 31.3.2014 को स्टालों दुकानों खोखो से प्राप्त होने वाली मासिक किराये की वसूली योग्य	56.41

		राशि शेष	
5	8	जल प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष राशि पाया जाना	6.78
6	9 (क)	कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों का अनियमित भुगतान	5.76
7	9 (ख)	कर्मचारियों का वेतन वृद्धि का गलत निर्धारण करन के फलस्वरूप अधिक भुगतान	0.16
8	12 (ग)	गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक/अनुचित भुगतान	1.24
9	15	स्ट्रीट लाईट के बिलों के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख का रखाव न करने व अधिभार के रूप में अनियमित भुगतान	20.00
10	22	वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण परिषद को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय की हानि	0.08

3 अंकेक्षण शुल्कः–

नगर परिषद पालमपुर के लेखों अवधि 4/2012 से 3/2014 का अंकेक्षण शुल्क, वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर ₹43500/– आँका गया, इस राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक ले0प0 की अंकेक्षण अधियाचना संख्या LAD (ऑडट) 2014–15/A.AK.S/P-144 दिनाँक 13.11.2014 द्वारा अनुरोध किया गया। अंकेक्षण शुल्क की उपरोक्त राशि को नगर परिषद पालमपुर द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

नगर परिषद पालमपुर की अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2012 से 3/2014 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

वर्ष 2012–13

प्रारम्भिक शेष 21040451.13

आय	20388019.00
कुल राशि	**41428470.13**
व्यय	21721918.00
अन्तिम शेष	**19706552.13**

वर्ष 2013–14

प्रारम्भिक शेष	19706552.13
आय	23052740.00
कुल राशि	**42759292.13**
व्यय	21055799.00
अन्तिम शेष	**21703493.13**

दिनाँक 31.03.14 बैंक में जमा शेष राशि

Sr.No.	Name of bank	A/C Number	Amount
1	SBP	5505901992	401384.17
2	SBP	55059030541	578315.80
3	SBP	5505902095	370.08
4	SBI (M)	11034455391	303231.63
5	SBI (ADB)	11358908264	13019.02
6	SBI (ADB)	11358897488	24529.66
7	PNB (PSC)	2934000100048001	2069851.00
8	PNB (PSC)	2934000100048153	10713.00
9	PNB (PSC)	2934000103042132	37408.00
10	PNB (M)	0375001100000032	68908.00
11	Syndicate Bank	04224	277203.95
12	OBC	06152010007380	1346265.00
13	OBC	06152010011850	335250.00
14	OBC	06152191006188	1466376.00
15	HGB	88120100000260	555739.00
16	UCO	1643	110689.00
17	IDBI	706104000005197	198578.00
18	IDBI	706104000000596	164317.00
19	Allahbad Bank	30422	392635.00

विभिन्न बैंकों का कुल योग	**8354784.08**
Amount Deposited as FDR	14158527.00
	(Annexure (क)(1)
कुल जमा राशि	**22513311.08**

Bank Reconciliation Statement

			Cash Book	Banks
Closing Balance as on 31.3.2014			21703493	22513311.08
Cash in Hand as on 31.3.2014				(+) 52840.00
Uncashed Cheque.				(-) 647314.00
Cheque No.	**Date**	**Amount**		
116272	31.3.14	639272		
627826	6.2.14	4254		
626760	16.7.13	288		
963047	22.3.13	3500		
	Total	647314		
Income in O.B.C. bank but not taken in cash book 25.2.14			(+) 5000	
Credit given by OBC bank but not taken in cash book dated 31.3.2014			(+) 3000	
Income in bank but not taken in cash book (Audit 1997 to 2005)			(+) 244887	
Expenditure in Bank but not taken in cash Book (Audit 1997 to 2005)			(-) 40889	
Interest not taken in cash book Bank Date Amount			(+) 3346	
		Total =	**21918837**	**21918837.08**

(i) जाँच में पाया कि चैक संख्या 626760 दिनाँक 16.7.13 राशि ₹288/– एवं चैक संख्या 963047 दिनाँक 22.3.13 ₹3500/– की वैधता दिनाँक 31.3.14 को समाप्त हो चुकी थी। अतः इन चैकों की वास्तविक स्थिति का पता करके रोकड़ बही के आय पक्ष में लेना सुनिश्चित करें।

(ii) जाँच में पाया कि वर्ष 2005 से पूर्व ₹244887/– की आय बैंक में जमा की गई थी लेकिन रोकड़ बही में नहीं दर्शाई गई थी। अतः इस आय का स्त्रोत पता करके इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करके ताकि बैंक एवं रोकड़ बही के शेष का मिलान किया जा सके।

(iii) जाँच में पाया कि वर्ष 2005 से पूर्व ₹40889/– का भुगतान किया गया था जिसकी प्रविष्टि बैंक में थी लेकिन रोकड़ बही में इस भुगतान की प्रविष्टि नहीं की गई थी एवं न ही इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये थे। अतः यह भुगतान सदिग्ध प्रतीत होता है। अतः इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करके इसकी प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करके अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित खाते में जमा करने के पश्चात अनपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

(2) एस0जे0एस0आर0वाई0

क्र0सं0	**2012–13**	**2013–14**
अथशेष	672545.16	316900.12
पावतियाँ	–	–
ब्याज	20568.93	9591.00
कुल योग	**693114.12**	**326491.12**
व्यय	376214.00	–
अन्तशेष	**316900.12**	**326491.12**

अन्तशेष का विवरण

Sr.No.	**Name of Bank**	**A/C Number**	**Amount**
1	State Bank of Patiala	9026681	19198.55
2	State Bank of Patiala	9020293	146798.82
3	PNB	0375000108706655	160493.75
			326491.12

पैरा 4 (2) (क) नगर परिषद द्वारा दिनाँक 25.10.2012 को एस0जे0एस0आर0वाई0 खाते से सम्बन्धित चार खातों में जमा राशियों को परिषद की अपने आय स्त्रोत से सम्बन्धित बचत खातों में जमा करवाकर खातों को बन्द कर दिया गया है तथा इस खाते की जमा राशि शेष को भी कम कर दिया गया है जिसका कारण स्पष्ट किया जाए कि किन परिस्थितियों में इन

खातों को बन्द कर दिया गया व की गई कार्यवाही को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा राशि को वापिस इस खाते से सम्बन्धित बचत खातों में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए, स्थानांतरित की गई राशियों का विवरण निम्नलिखित हैः–

दिनाँक 31.3.2012 को खाते में जमा अन्त शेष राशि जो ब्यात सहित जमा करवाई गई		**दिनाँक 25.10.2012 को जमा करवाई गई राशि का विवरण**	
खाता संख्या	**राशि**	**खाता संख्या**	**राशि**
SBI-908151	36488.78	SBI 897488	37690
SBI-908515	68968.92	-do-	71239
SBI-908195	81830.90	-do-	84524
SBP-20522	177640.47	SBP-19992	115761

Town and Country Planning

क्र0सं0	**2012–13**	**2013–14**
अथशेष	20948228	166347.28
पावतियाँ	–	–
ब्याज	8091	6721
कुल योग	**217573.28**	**173068.28**
व्यय	51226	–
अन्तशेष	**166347.28**	**173068.28**

अन्तशेष का विवरण

Sr.No.	**Name of Bank**	**A/C Number**	**Amount**
1	SBP	55059020770	173065.28

(4) Norad A/C:-

दिनाँक 31.3.2012 को खाते के अन्तशेष राशि ₹105122.55 को अर्जित ब्याज सहित दिनाँक 31.10.2012 को कुल राशि ₹108632/– के साथ SBP खाता संख्या 55059019992 में जमा करवा दिये गये व अलग रोकड़ व खाता बन्द कर दिया गया।

(5) विद्यावासिनी मन्दिर बंदलाः–

दिनाँक 31.3.2012 को खाते के अन्तशेष राशि ₹84344.83 को अर्जित ब्याज सहित दिनाँक 25.10.2012 को कुल राशि ₹87120/– के साथ SBI खाता संख्या 11358897488 में जमा करवा दिया गया व अलग रोकड़ व खाता बन्द कर दिया गया।

जिलाधीश से प्राप्त अनुदानों के लेखा अनुसार

क्र0सं0	**2012–13**	**2013–14**
अथशेष	1609.27	1801.27
पावतियाँ	–	–
ब्याज	192.00	73.00
कुल योग	**1801.27**	**1874.27**
व्यय	–	–
अन्तशेष	**1801.27**	**1874.27**

अन्तशेष का विवरण

Sr.No.	**Name of Bank**	**A/C Number**	**Amount**
1	SBI (ADB)	11358904532	1874.27

यह राशि वर्षों से केवल, अर्जित होने वाले ब्याज से सम्बन्धित है जिसमें कोई लेन देन नहीं किया जाता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्तकर समयवध उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया जाए जिस उद्देश्य हेतु इसे प्राप्त किया गया है ताकि अनावश्यक रख–रखाव से बचा जा सके।

5 अनुदानः–

अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2014 में अनुदान प्राप्त राशियों व व्यय की गई राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है विस्तारपूर्वक विवरण संलग्न **परिशिष्ट ख (1) से ख (3)** में दिया गया हैः–

वर्ष 2012–13

प्रारम्भिक शेष	10728108
आय	6952522
कुल राशि	**17680630**
व्यय	10830587

अन्तिम शेष	**6850043**

वर्ष 2013—14

प्रारम्भिक शेष	6850043
आय	11074547
कुल राशि	**17924590**
व्यय	11710190
अन्तिम शेष	**6214400**

दिनाँक 31.03.2012 को अनुप्युक्त (Unspent) अनुदान राशिः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 अनुसार दिनाँक 31.03.2012 को ₹10728108/— अनुदान अनुपयुक्त थी जिनका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ख" (1)** पर दिया गया है। परिशिष्ट के अवलोकन पर पाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त लम्बित पड़ी राशि में से वर्ष 2012—13 में ₹3928065/— तथा वर्ष 2013—14 में ₹5645643/— अर्थात कुल ₹9573708/— व्यय किये गये परन्तु इस राशि को व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी क्योंकि नियमानुसार अनुदान राशि जिस वित्तीय वर्ष में दो जाती है उसे उसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागों को जारी किये जाए। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती अवधि 2007—08 से लेकर 2011—12 तक बची हुई (Unspent) राशियों में से दिनाँक 31.3.14 को ₹1154400/— तथा वर्ष 2012—13 की ₹50000/— व वर्ष 2013—14 की ₹5010000/— कुल ₹6214400/— अनुपयुक्त थी। इस राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके समयवध उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया जाए जिस उद्देश्य हेतु इसे प्राप्त किया गया है अन्यथा अनुपयुक्त राशि की अविलम्ब सम्बन्धित विभागों को लौटाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 गृहकरः—

(क) गृहकर ₹3043962/— को वसूलो न करनाः—

संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में दिया गया है, के अनुसार दिनाँक 31.03.2014 तक गृहकर के रूप में ₹3043962/— वसूली हेतु लम्बित थी। निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्याः—यू0डी0 एच(ब)—(15)—4/99 दिनाँक 26.06.2003 द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार यदि कोई करदाता 10 दिनों में करों का भुगतान कर देता है, उसे चालू वर्ष की माँग पर 20**%** की दर से छूट प्रदान की जाये। यदि देय गृहकर, माँग जारी करने के 10 दिन उपरान्त भुगतान करता है तो 10**%** की दर से अधिभार लगाया जाना अपेक्षित है। अतः गृहकर की वूसली हेतु लम्बित राशि पर नियमानुसार अधिभार की वसूली करने हेतु शीघ्र ही आवश्यक उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) गृहकर की दरों में संशोधन (Revision) न करने के कारण परिषद को ₹23.79 लाख की वित्तीय हानिः—

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 65 में प्रत्येक नगर परिषद को 7.5**%** से 12.5**%** की दर पर गृह कर की वसूली करने हेतु अधिकृत किया गया है। माह नवम्बर 2003 में निदेशक, शहरी विकास ने प्रत्येक शहरी निकाऐं को निर्देश दिये थे कि दूसरे वित्त निगम (2nd State Finance Commission) के निर्देशों की अनुपालना में वर्ष 2002—03 से गृह कर की दरों में प्रत्येक वर्ष 1**%** की वृद्धि की जाए ताकि वर्ष 2006—07 तक यह दर 12.5**%** हो जाए। निदेशक, (शहरी निकायें) शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(C)(10)-7/98-11 दिनाँक 17.11.2003 के अनुसार वर्ष 2007—08 से गृहकर की माँग 12.5**%** की दर पर की जानी अपेक्षित थी परन्तु नगर परिषद द्वारा निर्देशों की अनुपालना न करते हुये केवल 8.5**%** की दर पर गृह कर की वसूली की जा रही है जिस कारण नगर परिषद को अंकेक्षण अवधि के दो वर्षों (वर्ष 2012—13 व 2013—14) में ₹23.79 लाख की वित्तीय हानि हुई। गत अकेक्षण

प्रतिवेदन में भी इस सन्दर्भ में आपत्ति उठाई गई थी परन्तु नगर परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः यह मामला निदेशक, शहरी विकास विभाग के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा नगर परिषद को परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब नियमों की अनुपालना में वाँछित कार्यवाही अमल में लाकर व वसूली कर, की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। वर्ष 2012–13 व 2013–14 में की गई माँग व अपेंक्षित माँग का विवरण निम्नलिखित है।

वर्ष	जिस दर पर माँग की गई	माँग की गई कुल राशि (₹)	जिस दर पर माँग की जानी अपेंक्षित थी	जितनी माँग की जानी अपेक्षित थी (₹)	अन्तर की राशि (₹)
2012–13	8.5**%**	2291118	12.5**%**	3369292	1078174
2013–14	8.5**%**	2764866	12.5**%**	4065979	1301113
				कुल योग	**2379287**

7 दिनाँक 31.3.2014 को स्टालों/दुकानों/खोखो से प्राप्त होने वाली मासिक किराये की राशि ₹56.41 लाख वसूली योग्य शेषः–

नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर दुकानों/स्टालों/खोंखों इत्यादि का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराए/पट्टे पर चढ़ाया गया है तथा इनका किराया नगर परिषद की आय का मुख्य स्त्रोत है। संस्था द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना जिस का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "घ"** में दिया गया है क अनुसार दिनाँक 31.03.2014 को किराए क रूप में ₹5641069/– वसूली हेतु लम्बित थी। इतनी बड़ी राशि का वसूली हेतु बकाया रहना एक चिन्तनीय विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाऐं जाएँ ताकि राशि को जनकल्याण हेतु प्रयोग में लाया जा सके।

8 (क) जल प्रभार ₹677565/– वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

परिषद द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनाँक 31.03.2014 को वाटर चार्जिस के रूप में ₹677565/–वसूली हेतु लम्बित थे जिस का विस्तृत विवरण

परिशिष्ट "ङ" में दिया गया है। अतः उक्त राशि का वसूली हेतु बकाया रहना एक चिन्तनीय विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाए जाएँ ताकि राशि को जनकल्याण हेतु प्रयोग में लाया जा सके।

(ख) विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय ₹5208/–को परिषद खाते में जमा न करने बारेः–

अभिलेख की जाँच पर निम्नविवरणानुसार वास्तविक योग व किये गये योग में अन्तर पाया परिणामस्वरूप परिषद खाते में ₹5208/– कम जमा किये गये।

(i) रसीद बुक 94 की रसीद संख्या 21 से 28 के तहत वसूल की गई आय ₹5048/– को रोकड़ बही में दर्ज न कर बैंक खाते में जमा नहीं करवाया गया।

(ii) चेस्ट रजिस्टर में दिनाँक 29.05.12 को वास्तविक योग ₹30553/– की बजाय ₹30453/– लिया गया अर्थात रोकड़ बही में ₹100/– की कम प्रविष्टि की गई परिणामस्वरूप बैंक खाते में ₹100/– कम जमा किये गये।

(iii) तह–बाजारी रजिस्टर में पेज संख्या 44 पर वास्तविक योग ₹3210/– की बजाय ₹3150/– लिया गया इस प्रकार ₹60/– योग में कम लेकर रोकड़ बही में दर्ज न कर बैंक खाते में जमा नहीं करवाई गई।

अतः रोकड़ बही में कम ली उक्त राशि ₹5208/– बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बन्धित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9 (क) नगर परिषद कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान ₹575818/– का अनियमित भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियो के वेतन में संशोधन दिनाँक 1.1.2006 से अपनी अधिसूचना संख्या Fin(PR) B(7)-1/2009 दिनाँक 26.8.2009 द्वारा किया गया तदानुसार उप सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या UD-B(7)-2/2009 दिनाँक 19.12.2009 द्वारा प्रदेश के पालिका कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान के भुगतान करने की प्रदेश सरकार की अनुमति प्रदान की गई। प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में पुनः अधिसूचना संख्या Fin(PR)-B(7)-64/2010 दिनाँक 27.9.

2012 द्वारा संशोधन किया गया परन्तु पालिका कर्मचारियों को भी पुनः संशोधित वेतनमान के भुगतान करने के सन्दर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, अभिलेख की जाँच में पाया गया कि प्रदेश सरकार की अनुमति न होते हुए भी नगर परिषद द्वारा अपने कर्मचारियों को दिनाँक 1.10.2012 से 31.3.2014 तक अपने ही स्तर पर उक्त संशोधित वेतनमान का भुगतान कर दिया तथा कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के भुगतान स्वरूप कुल राशि ₹575818/– का अनियमित भुगतान कर दिया गया जिसका पूर्ण विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "च"** पर संलग्न है। अतः प्रदेश सरकार की अनुमति न होते हुए भी नगर परिषद द्वारा अपने कर्मचारियों को दिनाँक 1.10.2012 से संशोधित वेतनमान के भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में प्रदेश सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर किये गये भुगतान को नियमित करवाया जाये अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गई उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ख) वेतन के रूप में ₹15848/– के अधिक/अनुचित भुगतानः–

मुख्य सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या Fin (PR) B(7)-59/2010 दिनाँक 9.8.12 की मद संख्या 3 अनुसार "While Fixing the Pay in higher Pay band if the minimum of higher pay band is higher than the staged arrived at, his Pay Shall be fixed at such minimum and next increment shall be allowed after avalifying Service of 12 months in highert pay band."

सेवा पंजिकाओं की जाँच पर पाया गया कि श्री सुरेश कुमार लिपिक का निम्नविवरणानुसार दिनाँक 1.10.12 को वेतन higher Pay Band के न्यूनतम पर निर्धारित किया गया उक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अनसार अगली वेतन वृद्धि वेतन निर्धारण के एक वर्ष पूर्ण होने पर दी जानी अपेक्षित थी परन्तु वेतन वृद्धि पुरानी वृद्धि तिथि से दी गई। परिणामस्वरूप उक्त कर्मचारी को ₹15848/– का अधिक/अनुचित भुगतान किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से कर नगर परिषद निधि में जमा करवानी सुनिश्चित किया जाये।

कर्मचारी का नामः– श्री सुरेश कुमार

पद **लिपिक**

1.12.12 to 31.12.12	1M	13500	13910	410	72% 295	705=705

1.1.13 to 30.6.13	6M	13500	13910	410	80% 328	738x6=4428
1.7.13 to 30.9.13	2M	13500	13910	410	90% 369	779x3=2337
1.12.13 to 31.12.13		13910	14330	420	90% 378	798x1=798
1.1.14 to 30.6.14		13910	14330	420	100% 420	840x6=5040
1.7.14 to 30.9.14		13910	14330	420	420	840x2=1680
1.12.14 to 31.12.14		14330	14760	430	430	860=860
						15848

10 (1) कन्ट्रैक्टर लैज़र का रख रखाव न करने बारेः–

अभिलेख की ज़ाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कोई कन्ट्रैक्टर लैजर नहीं तैयार किया गया है जबकि यह एक अत्यन्त आवश्यक अभिलेख है क्योंकि केवल इसी आवश्यक अभिलेख से ठेकेदार को जारी किये गये सामान, उसकी प्रतिपूर्ति व भुगतान पर नियन्त्रण रखा जा सकता है तथा सुनिश्चित किया जा सकता है कि ठेकेदार को जारी किये गये सामान की पूर्ण रूप से वसूली कर ली गई है उसे किसी प्रकार का कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया है। अतः अत्यन्त आवश्यक अभिलेख को तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब कन्ट्रेक्टर लेजर का रख रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि भण्डार से जारी किये गये सामान व वसूली से सम्बन्धित सत्यता की पुष्टि की जा सके।

(II) कार्य आंबटन से पूर्व विभागीय न्यायोचितता का तैयार न किया जानाः–

जाँच में पाया गया कि ठेकेदारों को कार्य आंबटन पूर्व कोई विभागीय न्यायोचितता नहीं बनाई जाती है ताकि उनको किये गये भुगतान को उचित ठहराया जा सके व सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार की उच्च दरों पर कार्य आंबटित नहीं किया गया है। कार्य आबन्टन पूर्व प्रत्येक कार्य के न्यूनतम ठेकेदार को नगोशियेसन के लिये बुलाया जाता है तथा कुछ दरें कम कर, कार्य आबटित कर दिया जाता है परन्तु इन कम करवाई गइ दरों/आंबटित दरो ंका क्या आधार है? ये किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य उच्च दरों पर आंबटित नहीं किया गया है, को स्पष्ट नहीं किया गया है।

अतः मूल अभिलेख (विभागीय न्यायोचितता) की अनुपलब्धता में उच्च दरों पर कार्य आंबटन को नकारा नहीं जा सकता है। अतः विभागीय न्यायोचितता बनाये न जाने का कारण

स्पष्ट किया जाये। उच्च स्तरीय जाँच उपरान्त, किसी प्रकार के उच्च दरो पर कार्य आंबटन व अधिक भुगतान को नकारते हुये, की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में विभागीय न्यायोचितता उपरान्त ही प्रत्येक कार्य का आंबटन सुनिश्चित किया जाए।

11 ठोस कूड़ा प्रबन्ध संयन्त्र का निर्माण कार्य बारेः–

ठोस कूड़ा प्रबन्धन संयन्त्र निर्माण कार्य हेतु पत्र संख्या 492–497 दिनाँक 27.8.2011 द्वारा निविदाऐं आमन्त्रित की गई जिसमें टैण्डर फार्म विक्रय की अन्तिम तिथि 13.9.2011 दर्शाई गई तथा टैण्डर फार्म खोलने की तिथि 14.9.2011 दी गई। इस कार्य हेतु 4 ठेकेदारों द्वारा टैण्डर भरे गये जिसमें श्री विकास सूद की न्यूनतम दरें थी तथा उन्ह कार्य आंबटन पत्र संख्या एम0सी0/वर्क/99–939 दिनाँक 18.10.2011 द्वारा कुल ₹3825404/– के लिए यह कार्य आंबटित किया गया। जाँच करने पर लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई।

(1) धरोहर राशि (Earnest Money) जब्त न किए जाने के सन्दर्भ मेंः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उक्त वर्णित कार्य आंबटन से पूर्व भी इस कार्य हेतु निविदाऐं आमन्त्रण पत्र संख्या 1562–68 दिनाँक 29.3.2011 द्वारा निविदाऐं आमन्त्रित की गई थी जिसमें टैण्डर फार्म बेचने की अन्तिम तिथि 5.4.2011 व खोलने की तिथि 6.4.2011 निर्धारित की गई थी। कार्य की धरोहर ₹88000/– रखी गई थी। जाँच में पाया गया कि इस कार्य हेतु 7 ठेकेदारों द्वारा अपनी दरें (टैण्डर) भरी गई जिसमें श्री गोकुल ठाकुर की दरें, सबसे कम जो हिमाचल प्रदेश मानक दर 2009 से 31.01 प्रतिशत कम थी पाई गई।

उपरोक्त प्रक्रिया के उपरान्त कोई ऐसा अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिससे यह पता चल सके कि श्री गाकुल ठाकुर को यह कार्य आंबटित भी किया गया था अथवा नहीं। अतः स्पष्ट किया जाए।

(i) यह कार्य श्री गोकुल ठाकुर को आंबटित क्यों नहीं किया गया?

(ii) अगर कार्य आंबटित किया गया तो कार्य आंबटन पत्र संख्या व पत्र आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाया जाए।

(iii) श्री गोकूल ठाकुर द्वारा अगर कार्य करने से मना कर दिया गया, तो इस सन्दर्भ में उनका पत्र आगामी अंकेक्षण मे ंसत्यापित करवाया जाए।

(iv) कार्य न करने के कारण श्री गोकुल ठाकुर के विरूद्ध क्या कार्यवाही अमल में लाई गई?

उनके द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि ₹88000/– को क्यों जब्त नहीं किया गया। नियमानुसार की गई कार्यवाही को उचित ठहराया जाए।

(v) अगर श्री गोकुल ठाकुर द्वारा कार्य शुरू करने से मना कर दिया गया था तो क्या दूसरे न्यूनतम संविदाकार को कार्य शुरू करने हेतु आमन्त्रित किया गया था। अगर नही ंतो उसका कारण स्पष्ट किया जाए व की गई कार्यवाही को नियमानुसार उचित ठहराया जाए।

(vi) अगर दूसरे न्यूनतम संविदाकार द्वारा भी कार्य शुरू करने से मना कर दिया गया था तो उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही तथा उसके द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि ₹88000/– को जब्त करने सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाया जाए ताकि इस कार्य हेतु माह 9/2011 में पुनः निविदाऐं आमन्त्रित की गई व कार्य श्री विकास सूद को आंबटित किया गया उसे नियमानुसार उचित ठहराया जा सके व किसी प्रकार के अनुचित लाभ को नकारा जा सके।

(2) प्रतिभूति राशि ₹1.38 लाख की कटौती न किया जानाः–

(i) इस कार्य के प्रथम बिल की रिकार्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 24 के पृष्ठ 2 पर ली गई तथा कार्य का कुल बिल ₹2020536/– का बना। जाँच में पाया गया कि प्रथम बिल की प्रतिभूति राशि ₹138527/– की ठेकेदार के बिल से कटौती नहीं की गई, केवल आयकर, बिक्रीकर, सीमेन्ट इत्यादि की कटौती उपरान्त कुल देय राशि ₹1809377/– का भुगतान 3 किश्तों में, प्रथम किश्त ₹13 लाख दिनाँक 31.3.2012 को दूसरी किश्त ₹3 लाख वाऊचर संख्या 10 माह 5/2012 को तथा शेष ₹209377/– का भुगतान वाऊचर संख्या 20 माह 8/2012 के अन्तर्गत किया गया।

अतः प्रतिभूति राशि (Security) ₹138527/– की कटौती न करने का कारण स्पष्ट किया जाए व नियमानुसार उसे उचित ठहराया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली कर व जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ii) इस कार्य के बिल की मद संख्या 1 के अन्तर्गत अतिरिक्त मद के रूप में "Cutting in Earth work and disposal of excavated earth up to load with all load and ltd" कुल 3217.81 घन मीटर निष्पादन की गई तथा इस मद हेतु ₹137/– प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹440840/– का भुगतान किया गया। माप पस्तिका में यह प्रमाण पत्र दिया गया कि कोई पुनः प्रयोग होने वाला सामान प्राप्त नहीं किया गया। "No. Serviceable material has

been found on the site" जबकि दूसरी ओर इस कार्य से 20 घन मीटर पत्थर की प्राप्ति दर्शाकर ठेकेदार से ₹350/– प्रति घन मीटर की दर पर ₹7000/– की वसूली प्रथम बिल से की गई। 3217.81 घन मीटर मिट्टी की खुदाई से 1**%** से भी कम केवल .62**%** घन मीटर पत्थर की प्राप्ति उचित प्रतीत नहीं होती यदि कुल कार्य का 10**%** भी पत्थर प्राप्त होते तो यह 322 घन मीटर बनते तथा ₹350/– प्रति घन मीटर की दर पर यह राशि ₹112700/– बनती है जबकि वसूली केवल ₹7000/– की हुई है। अतः यह प्रकरण परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

(3) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि इस कार्य हेतु पहली बार दिनाँक 5.4.2011 को बेचे गये 7 टैण्डर फार्म में से 6 टैण्डर फार्म की राशि ₹12000/– (₹2000 प्रति टैण्डर) को परिषद कोष में जमा करवाया गया। अतः एक टैण्डर की राशि ₹2000/– जमा नहीं करवाई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि एक टैण्डर फार्म की राशि ₹2000/– का दुरूपयोग किया गया है। अतः जाँच उपरान्त उचित कार्यवाही अमल में लाते हुये राशि को वसूल कर परिषद कोष में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

12 **कार्य का नामः–** शमशान घाट में शेड का निर्माण

ठेकेदार का नामः– श्री कमिन्द्र सिंह राणा

बिल संख्याः– प्रथम व अन्तिम बिल ₹463180/–

माप पुस्तिकाः–संख्या 24 पृष्ठ 11 व 12

वाऊचर संख्या 20 माह 7/2013

शमशान घाट में शेड निर्माण कार्य हेतु 3 ठेकेदारों ने अपनी दरें दी व टैण्डर भरे, इन टैण्डरों को कार्यकारी अधिकारी, प्रधान नगर परिषद व कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा खोला गया परन्तु अभिलेख में यह प्रमाणित/स्पष्ट नहीं किया गया कि इन ठेकेदारों द्वारा अपने टैण्डर के साथ कार्य की धरोहर राशि जमा करवाई गई थी अथवा नहीं क्योंकि ठेकेदारों के टैण्डर तभी स्वीकृत किए जा सकते थे जब वह टैण्डर के साथ धरोहर राशि भी संलग्न करते लेखा परीक्षा से ऐसा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं किया जा सका जिसके अभाव में धरोहर राशि जमा करने की पुष्टि नहीं की जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदारों द्वारा अपनी धरोहर राशि जमा नहीं करवाई गई थी। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। तथा यदि ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि जमा नहीं करवाई गई थी तो ठेकेदारो ंके टैण्डर स्वीकृत करने

कार्यवाही को नियमानुसार उचित ठहराया जाए क्योंकि कार्य की शर्त संख्या 3 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया था कि धरोहर राशि बिना टैण्डर स्वीकृत नहीं किए जाऐंगें।

(ख) ठेकेदार को मैगोशिएसन के लिए बुलाकर उसकी दरो ंको कम किया गया तथा निगम अभियन्ता द्वारा इन्हें स्वीकृत किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

मद संख्या	टैण्डर में दी गई दरें	नेगोशिएसन उपरान्त दी गई दरें
1	7100 प्रति 100 किलो	₹6800
2	810 प्रति वर्ग मी0	₹750
3	1100 प्रति वर्ग मी0	₹1050
4	500 प्रति मीटर	₹400
5	1500 प्रति वर्ग मीटर	₹1450

(i) इन कम की गई दरो के सन्दर्भ में ठेकेदार से कुछ भी लिखित में नहीं लिया गया, यह नेगोशिएसन किसके द्वारा की गई कुछ स्पष्ट नहीं किया गया, जिसका कारण स्पष्ट किया जाए।

(ii) यह कार्य ठेकेदार का कुल राशि ₹450915/– जो एच0पी0एस0आर 2009 की दरो ंसे 21.19**%** ऊपर थी आंबटित किया गया जाँच में पाया गया कि आंबटन से पूर्व विभागीय न्यायोचितता नहीं बनाई गई। बिना विभागीय न्यायोचिता बनाए कार्य आंबटन को उचित ठहराया जाए तथा स्पष्ट किया जाए कि यह किस प्रकार सुनिश्चित किया गया कि इस कार्य में ठेकेदार को उच्च दरों पर भुगतान नहों किया गया है।

(ग) कार्य की मद संख्या 5 "´P/F M.S.B.P. Sheet 1-66mm to 2mm thick etc." की दर ₹1450/– प्रति वर्ग मीटर की दर पर ठेकेदार को देय थी। माप पुस्तिका के पृष्ठ 11 जहाँ ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य का ईन्द्राज लिया गया यह कार्य 94.30 रनिंग मीटर निष्पादित किया गया। भुगतान करते समय इस कार्य को वर्ग मीटर में बदलने की जगह रनिंग मीटर पर ही वर्ग मीटर की दर से भुगतान कर दिया गया। क्योंकि 94.30 रनिंग मीटर का केवल 8.76 वर्ग मीटर (94.30÷10.76) बनता है। इस प्रकार कार्य पर 94.30–8.76=85.54 रनिंग मीटर का ₹1450/– की दर से ₹124033/– का अधिक भुगतान कर दिया गया। अतः किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति कर परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

13 वाऊचर संख्या 28 माह 8/2012

कार्य का नामः– टवाय सैन्टर के पास सब्जी मण्डी के निर्माण क लिए शेड का निर्माण

बिल संख्याः– दूसरा चलित बिल ₹9975/–

ठेकेदार का नामः– श्री अर्जुन सिंह

माप पुस्तिका संख्याः– 22 पृष्ठ 70 व 71

टवाय सैन्टर के पास सब्जी मण्डी के निर्माण कार्य श्री अर्जुन सिंह को कार्य आंबटन पत्र संख्या एम0सी0/वर्क/99–2011–1155–57 दिनाँक 31.12.11 द्वारा ₹266484/– हेतु आंबटित किया गया। इस कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई जिनका निपटारा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये।

(i) इस कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा टैण्डर की प्रत्येक मद हेतु अपनी दी गई दरो पर 2**%** की दर से छूट प्रदान की गई थी परन्तु कार्य की तुलनात्मक विवरणिका बनाते समय व कार्य आंबटित करते समय इस छूट को ध्यान में नहीं रखा गया है तथा ठेकेदार को दरो पर बिना छूट की कटौती किए ही कार्य आंबटित कर दिया गया तदानुसार भुगतान कर दिया गया। इस कारण ठेकेदार को इस दूसरे बिल तक किए गये कुल भुगतान राशि ₹351953/– पर 2**%** की दर से कुल राशि ₹7039/– का अधिक भुगतान कर दिया गया जो एक गम्भीर चूक है। अतः अधिक किये गये भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ii) जाँच में पाया गया कि दूसरे चलित बिल की प्रविष्टि लेते समय तदोपरान्त बिल का भुगतान करते समय न तो माप पुस्तिका में न ही बिल में प्रथम चलित बिल में किये गये भुगतान का ईन्द्राज लिया गया ताकि पता चल सके कि दूसरे चलित बिल तक कुल कितना कार्य निष्पादित किया जा चुका है। तदोपरान्त प्रथम बिल में भुगतान की गई मात्रा को उसमें से कम कर दूसरे चलित बिल का भुगतान किया जाना अपेक्षित था ताकि किसी भी प्रकार के दोहरे भुगतान को भी नकारा जा सके। अतः नियमानुसार ईन्द्राज कर व तदोपरान्त बिल को भुगतान न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा किसी भी प्रकार के दोहरे भुगतान को नकारते हुए नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 10 बोरी सीमेन्ट का दुरूपयोगः–

दिनाँक 7.6.2013 को 20 बोरी सीमेन्ट, श्रीमती अनु, प्रधान नगर पंचायत को बौहल में जहाँ से नगर को पानी की आपूर्ति की जाती है, उस स्थान पर पानी का टैंक बनाने हेतु जारी किया गया। जाँच में पाया गया कि श्रीमती अनु द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में 10 बोरी सीमेन्ट की माँग की थी परन्तु इन 10 बोरी को ओवरराईटिंग कर 20 बोरी कर दिया गया व 20 बोरी जारी कर दी गई जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपरोक्त प्रकरण में 10 बोरी सीमेन्ट का दुरूपयोग किया गया है जो एक गम्भीर अनियमितता है। अतः अविलम्ब इस सन्दर्भ में उच्च स्तरीय जाँच कर व दुरूपयोग हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त अतिरिक्त जारी किये गये सीमेन्ट के प्रयोग से सम्बन्धित कोई अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया उसे आगामी अंकेक्षण में दर्शाकर की गई कार्यवाही को उचित ठहराया जाए।

15 (क) हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को स्ट्रीट लाईट की बकाया राशि ₹24 लाख के भुगतान सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करने बारेः–

वाऊचर संख्या 16 माह 7/2013 के अन्तर्गत ₹20 लाख तथा वाउचर संख्या 20 माह 8/2012 के अन्तर्गत ₹4 लाख हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को शहर में स्ट्रीट लाईट के बकाया बिलो के स्वरूप में आँशिक रूप में भुगतान किया गया अभिलेख की जाँच करने पर लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई जिनका निपटारा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये।

(i) जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कोई ऐसा अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिससे पता चल सके कि किस किस मीटर के विरूद्ध विद्युत परिषद द्वारा कब–कब व कितनी राशि की माँग की गई थी, प्रत्येक मीटर की क्या–क्या रीडिंग थी तथा उसके विरूद्ध विद्युत निगम द्वारा क्या–क्या माँग की गई तथा नगर परिषद द्वारा कब–कब कितना भुगतान किया गया अर्थात नगर परिषद द्वारा लाईट के सन्दर्भ में कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया है

जबकि निदेशक, शहरी विकास द्वारा प्रत्येक नगर पंचायत/परिषद को बकाया राशियो ंके मिलान/Reconcilation हेतु पत्र संख्या 9791–9843 दिनाँक 20.12.2012 के अन्तर्गत इस कार्य हेतु दिनाँक 26 व 28.12.2013 के दा दिन निर्धारित किये थे। किसी भी प्रकार के अभिलेख तैयार न करने की अवस्था में किसी भी प्रकार के गलत अधिक/दोहरे भुगतान को नकारा नहीं जा सकता है। अतः एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब पूर्ण अभिलेंख तैयार कर तथा समय–समय पर किये गये भुगतानों का समायोजन करते हुये किये गये भुगतानों को उचित ठहराया जाए।

(ii) वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत मण्डल हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लि0 पालमपुर द्वारा अपने पत्र संख्या 234489/AAE/2013–14 3294–97 दिनाँक 21.6.2013 के माध्यम से स्ट्रीट लाईट के 6 खातों हेतु बकाया राशि ₹9294890/– की माँग की गई परन्तु पत्र के साथ कोई गणना/आधार जिस पर यह माँग की गई कोई प्रपत्र साथ संलग्न नहीं था जिसके अभाव में माँग की गई राशि की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख अब प्राप्त करके आगामी लेखा परीक्षा में आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाए।

(iii) चर्चा करने पर बताया गया कि विद्युत निगम द्वारा विद्युत बिलों की माँग में व्यापारिक दरों (Commercial Rate) पर की जाती है जबकि नगर परिषद कोई व्यापारिक संस्था नहीं है। यह एक सेवा प्रदान करने वाली संस्था है। अतः विद्युत निगम से इस विषय को उठा कर इन दरो ंको घरेलू दरों (Domestric Rate) पर परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जाए ताकि नगर परिषद को कम से कम राशि का भुगतान करना पड़े।

(iv) विद्युत परिषद द्वारा विद्युत बिल के भुगतान न करने पर 2**%** की दर पर अधिभार लिया जाता है उस प्रकार यह दर लगभग 24**%** प्रति वर्ष पड़ती है। अतः नगर परिषद द्वारा समय पर विद्युत बिलों के भुगतान न करने के कारण विद्युत विभाग को इस 92 लाख की माँग में लगभग 20 लाख के ऊपर अधिभार के रूप में भुगतान करना पड रहा है जबकि नगर परिषद द्वारा वहीं दूसरी तरफ लाखों रूपये वसूली हेतु बकाया है जिन पर कोई अतिरिक्त आय अर्जित नहीं हो रही है जैसे गृहकर के ₹30–40 लाख दुकानों के किराए ₹56.41 लाख वसूली हेतु बकाया है। नगर परिषद द्वारा लगभग ₹1.41 करोड़ सावधि जमा योजना में निवेश किये है जिन पर केवल 9**%** की दर पर ब्याज अर्जित किया जा रहा है। अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रदेश सरकार से विशेष स्वीकृति प्राप्त कर विद्युत बिल का भुगतान कर दिया जाये ताकि अधिभार के रूप में किये जाने वाले लाखों रूपयो के भुगतान से बचा जा सके।

(ख) हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम से ₹487330/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्ति न करने बारेः–

वाऊचर संख्या 25 माह 8/2012 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश रा0वि0 निगम पालमपुर को ₹151365/– अग्रधन के रूप में रैन बसेरा के पास प्रस्तावित कार पार्किंग व शॉपिंग कम्पलैक्स के निर्माण स्थल के ऊपर से जा रही एल0टी0 लाईन को बदलने हेतु भुगतान किया गया व वाऊचर संख्या 26 माह 8/2012 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम पालमपुर को ₹335965/– का भुगतान साँई गार्डन के पास निर्णीत किए जा रहे सॉलिड बेस्ट मेनेजमैन्ट प्लॉट के लिए एल0टी0 लाईन बिछाने हेतु भुगतान किये गय। इन दोनों अग्रिम राशियों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र व कार्य समाप्ति पत्र जाँच हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया। अपेक्षित अभिलेख अब प्राप्त करके आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाये। इसके अतिरिक्त जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा समय समय पर प्रदान किये गये अग्रधनों से सम्बन्धित कोई अलग से अभिलेख (Advance Register) तैयार नहीं किया गया है जिससे प्रदान किये गये अग्रधनों के समायोजन पर नियन्त्रण रखा जा सके। अतः अलग से अभिलेख तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब अभिलेख तैयार कर व अग्रिम राशियो ंका समायोजन सुनिश्चित कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

16 ₹1266/– का अनुचित भुगतानः–

वाऊचर संख्या 16 माह 8/2012 के अन्तर्गत मै0 नीरज एजेन्सी से बिजली के सामान की खरीद करने पर कुल ₹26585/– का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	बिल सं0	दिनाँक	सामान का विवरण		कुल राशि
1	888	28.5.2012	बजाज सी0एफ0एल0 65 वॉट		
			12 पीस @ 475	5700	
			वैट 5%	285	

				5985	**₹5985**
2	629	14.5.2012	बजाज सी0एफ0एल0 85 वॉट		
			36 पीस @ 500	18000	
			वैट 5**%**	900	
				18900	**₹18900**
3	368	26.4.2012	बजाज सी0एफ0एल0 80 वॉट		
			10 पीस @ 161.91	1619	
			वैट	81	
				1700	**₹1700**

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मै0 नोरज ऐजेन्सी ने अपनी दरें/निविदाओं में वैट को अतिरिक्त/अलग से लेने की कोई शर्त नहीं लगाई थी। अतः अलग से अतिरिक्त रूप में वैट के किए गये भुगतान कुल राशि ₹1266/– को उचित ठहराया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली कर व वापिस जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

17 वाऊचर संख्या 17 माह 2/2012 के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिए श्री रणजोध सिंह से बिल संख्या 8 दिनाँक 10.8.2012 द्वारा रेत व बजरी खरीदने पर कुल ₹24788/– का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

रेत 11.32 घन मीटर	₹12800
बजरी 10.48 घन मीटर राशि	₹11988
कुल राशि	**₹24788**

उक्त क्रय किये गये सामान का ईन्द्राज माप पुस्तिका संख्या 10 के पृष्ठ 89 पर तथा एम0ए0एस0 खण्ड–iv के पृष्ठ 71 पर लिया गया। इस क्रय व भुगतान में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई, जिनका निपटारा कर की गई क्रय व भुगतान को उचित ठहराया जाये।

(क) भुगतान किये गये बिल को कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है जिसका कारण स्पष्ट किए जाऐं। अतः व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

(ख) एम0ए0एस0 की जाँच करने पर पाया गया कि माह 8/2013 तक ईन्द्राज कुल सामान में से कार्य पर की गई खपत के पश्चात स्टॉक में निम्नलिखित सामान शेष पड़ा है।

रेत =11.8 घन मीटर, बजरी 10.38 घन मीटर बोलडर स्टोन 5.74 घन मीटर व सीमेन्ट 65 बोरी

यह सामान माह 8/2013 अनुपयोगी पड़ा होना दर्शाता है कि सामान की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः इस अनावश्यक खरीद का कारण स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में जिम्मेवारो निर्धारित कर व उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये।

(ग) लगभग 1 वर्ष (माह 8/2013) से सामान का अनुपयोगी पड़ा होना दर्शाता है कि यह सामान खराब हो गया होगा विशेष कर सीमेन्ट। अतः सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन कर व अगर सामान खराब हो गया हो तो उस सन्दर्भ में जिम्मेवारी निर्धारित कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाये।

18 स्टॉक भौतिक/प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा स्टॉक में पड़े सामान का कभी भी प्रत्यक्ष/भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 की धारा 140 के अनुसार प्रत्येक वर्ष स्टॉक मे ंपड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

Section 140:- Physical Verification, "The officer-in-chrge of the stores shall cause to maintain the inventory for fixed assets, consumable goods and dead stock or unserviceable items.

Head of the Department shall conduct the physical verification of fixed assets, Consumable goods and dead stock or unserviceable items or cause it do be conducted through his subordinate officer (s) or through a committee constituted by him, at least once in a year."

Section 141:- Procedure for Verification, Physical Verification shall always be conducted in the presence of the officer (s), responsible for the custody of the inventory.

A certificate of verification along with the finding shall be recorded in the stock register by the officer(s) or committee conducting the physical Verification."

अतः नियमों की अनुपालना न करना एक गम्भीर चूक है जिसके न करन का कारण स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाए, किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

19 सीमेन्ट की खरीद पर ₹5335.18 का अनुचित भुगतानः—

वाऊचर संख्या 11 माह 7/2013 के अर्न्तगत हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम को 200 बोरी सीमेन्ट की आपूर्ति करने हेतु ₹44105/— का भुगतान अग्रधन के रूप में किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम ने अपने परफोरमा ईनवाईस में सीमेन्ट की बेसिक पर ₹3320/— प्रति मिट्रिक टन तथा ढुलाई हेतु ₹11604.90 भोड़े के रूप में माँग की गई जबकि सीमेन्ट आपूर्ति कम्पनी ऐ0सी0सी0 सीमेन्ट द्वारा सीमेन्ट की आपूर्ति करते समय संलग्न बिल में सीमेन्ट का बेसिक दर ₹2830.80 प्रति मिट्रीक टन तथा किराये के रूप में ₹10161.72 के बिल प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार नगर परिषद द्वारा 10 मिट्रीक टन की खरीद पर कुल ₹5335.18 (4892+443.18) का अधिक भुगतान कर किया गया। अतः अधिक किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

20 **कार्य का नामः**— वार्ड नं0 1 में पी0डब्लयू0डी0 वर्कशॉप से श्री देस राज के घर तक रास्ते का निर्माण

ठेकेदार का नामः— श्री रणजोध सिंह

बिल संख्याः— प्रथम व अन्तिम बिल ₹195806/—

माप पुस्तिका संख्याः— 22 पृष्ठ 69 व 70

वाउचर संख्या 24 माह 8/2012

इस कार्य को नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या 250—253/एम0सी0पी0 दिनाँक 11.6.2012 द्वारा अधिसूचित किया गया तथा कार्य की धरोहर राशि ₹5000/— रखी गई तथा प्रत्येक ठेकेदार के लिये यह अनिवार्य था कि अपने टैण्डर/कार्य हेतु दरें देने के साथ/पूर्व यह धरोहर राशि भी जमा करवाए तभी उनके टैण्डर खोले जाने अपेक्षित थे। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि इस कार्य हेतु 4 ठेकेदारों ने अपने टैण्डर भरे परन्त ठेकेदार रणजोध सिंह को छोड कर अन्य किसी भी ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि जमा नहीं करवाई गई। अतः

स्पष्ट किया जाए कि किन नियमों/परिस्थितियों में जिन ठेकेदारा द्वारा धरोहर राशि जमा नहीं करवाई गई थी उनके टैण्डर भी स्वीकृत किये गये तथा दरों की तुलना कर कार्य आंबटित कर दिया गया। जब केवल एक ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि जमा करवाई गई थी तो अकेला टैण्डर ठहरा कर उसे क्यों रद्द नहीं किया गया तथा पुनः विज्ञापित कर व टैण्डर आमन्त्रित कर कार्य आंबटित क्यों नहीं किया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में कार्य का उच्च दरो ंके आंबटन व ठेकेदार को दिए गये किसी प्रकार के अनुचित लाभ को नकारा नहीं जा सकता है। अतः उच्च स्तरीय गाँव उपरान्त व किसी प्रकार के अधिक भुगतान को नकारते हुऐ की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 **ठेकेदार का नामः**– श्री कमीन्दर सिंह राणा,

कार्य का नामः– डिवलपमेन्ट ऑफ शमशान घाट (प्राटैक्शन वॉल का निर्माण)

माप पुस्तिका संख्याः– 24 पृष्ठ 9

बिल संख्याः– प्रथम व अन्तिम बिल ₹250000/–

वाउचर संख्या 20 माह 7/2013

यह कार्य ठेकेदार को आंबटन पत्र संख्या 314 दिनाँक 17.6.2013 द्वारा आंबटित किया गया। कार्य हेतु विभागीय स्तर पर सीमेन्ट जारी न कर ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर सीमेन्ट को प्रयोग में लाया गया। कार्य हेतु किये गये कार्य के अनुसार 190 बोरी सीमेन्ट की खपत अपेक्षित थी परन्तु ठेकेदार के बिल के साथ कोई ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है जिससे पता चले सके कि वास्तव में ठेकेदार द्वारा नियमानुसार वाँछित सीमेन्ट की खरीद कर खपत की गई है। अतः विभागीय स्तर पर सीमेन्ट जारी न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा प्रमाणित किया जाए कि वास्तव में ठेकेदार द्वारा सीमेन्ट की नियमानुसार खपत की है तथा कोई निम्न श्रेणी का कार्य नहीं किया गया है। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

22 वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण परिषद को ब्याज की अतिरिक्त आय के रूप में ₹8334/– की हानिः–

अभिलेख की जाच में पाया गया कि दिनाँक 30.8.2012 को ₹10 लाख भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या 19992 से ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स के खाता संख्या 6188 से

स्थानान्तरित कर दिये गये इसी दिन आई0डी0बी0आई0 बैंक के खाता संख्या 000596 से ₹15 लाख की ईलाहाबाद बैंक में एक वष की सावधि जमा योजना में निवेश कर दिये गये।

बैंकों द्वारा अपने बचत खातों में जमा राशियों पर ब्याज दिया जाता है तथा यह ब्याज प्रत्येक माह की 10 तारीख से 30 तारीख तक जो खाते में सबसे कम अन्तशेष रहता है। उस राशि पर दिया जाता है नगर परिषद प्रशासन द्वारा माह के आखिरी दिन कुल ₹25 लाख की निकासी/स्थानान्तरण करने के कारण इस राशि पर अर्जित होने वाले ब्याज से वंचित होना पड़ा जो 4**%** की दर से ₹8334/– बनता है। अतः माह के अन्तिम दिन राशि स्थानान्तरित करने का कारण स्पष्ट करते हुए की गई कार्यवाही को उचित ठहराया जाए अन्यथा इस गलत कार्यवाही के कारण नगर परिषद को हुई हानि ₹8339/– की वसूली उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

23 (i) वाहन संख्या एच0पी0 37–0366 की मुरम्मत पर अनावश्यक व्यय करने बारेः–

वाऊचर संख्या 26 माह 8/2012 के अन्तर्गत मै0 ठाकुर मोटर को बिल संख्या 5951 दिनाँक 11.6.2012 के अन्तर्गत परिषद के वाहन संख्या एच0पी0 37–0366 की मुरम्मत करने पर ₹8336/– का भुगतान किया गया। गाड़ी की लाग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि गाड़ी लगभग न के बराबर चल रही है जबकि उसकी मुरम्मत पर विभाग द्वारा हजारों रूपये व्यय किये जा रहे है उदाहरण के रूप में अंकेक्षण अवधि में गाड़ी द्वारा की गई यात्रा व उस पर किये गये व्यय का विवरण निम्नलिखित हैः–

वर्ष	**वर्ष में की गई यात्रा**	**गाड़ी की मुरम्मत पर किया गया व्यय**
2012–13	181 कि0मी0	बिल संख्या 5951 दिनाँक 11.6.2012 मै0 ठाकुर मोटर ठाकुरद्वारा ₹8336/–
2013–14	137 कि0मो0	बिल संख्या 6582 दिनाँक 9.7.2013 मै0 ठाकुर मोटर ठाकुरद्वारा ₹9033/–

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट ह कि नगर परिषद द्वारा इस वाहन द्वारा दो वर्षों में की गई कुल यात्रा 318 किलोमीटर पर ₹17369/– व्यय कर दिये गये। चर्चा करने पर स्पष्ट किया गया कि नगर परिषद को इस वाहन की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त व्यय वाहन की

प्रत्येक वर्ष की जाने वाले रंग रोगन व अन्य मुरम्मत पर किये जाने वाला व्यय है। जब वाहन की कोई आवश्यकता नहीं थी तो इस गाड़ी की अनावश्यक खरीद बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यह प्रकरण निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कायवाही हेतु लाया जाता है।

(ii) वाहन संख्या 37–4747 की लॉग बुक के रख–रखाव में की गई गम्भीर चूक/अनियमितताओं के सन्दर्भ में:–

वाऊचर संख्या 14 माह 8/2012 के अन्तर्गत मै0 चाईना राम सन्त राम को परिषद के वाहनों को माह 4/2012 से 6/2012 तक तेल की आपूर्ति करने पर कुल ₹40801/– का भुगतान किया गया सम्बन्धित अभिलेख/लॉग बक की जाँच करने पर वाहन संख्या 37–4747 की लॉग बुक में गम्भीर अनियमितताऐं पाई गई। जिस कारण वाहन में किसी प्रकार के तेल के दुरूपयोग व वाहन के दुरूपयोग की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता। अतः इस सन्दर्भ में उच्च स्तरीय जाँच उपरान्त व किसी प्रकार के दुरूपयोग की अवस्था में उचित कार्यवाही अमल में लाकर, की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार अभिलेख का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए। पाई गई त्रुटियों का विवरण निम्नलिखित है:–

(क) लॉग बुक में गाड़ी का मासिक गोशवारा नहीं बनाया गया है जिससे पता चल सके कि माह में गाड़ी द्वारा कितने किलोमीटर यात्रा की गई तथा कितने लीटर तेल की खपत की, वाहन की प्रति लीटर क्या औसत रही तथा क्या वह औसत वाहन के लिये निर्धारित औसत से कम या ज्यादा थी, ताकि की गई तेल खपत को उचित ठहराया जा सके क्योंकि नियमानुसार वाहन चालक की यह जिम्मेवारी है कि वह गाड़ी में तेल की खपत निर्धारित दर/औसत यह सुनिश्चित रखे, यदि उससे कम औसत आती है तो उसके लिए वह निजी तौर पर जिम्मेवारी है। अतः मासिक गोशवारा न बनाने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब प्रत्येक माह का गोशवारा बनाकर तथा किसी प्रकार के दुरूपयोग को नकारते हुए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) वाहन में अधिकांश जगह, जब–जब यात्रा की गई दर्शाई गई है लेकिन यात्राओं को यात्रा करने वाले अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया है जिस कारण वाहन के दुरूपयोग को नकारा नहीं जा सकता है। अतः यात्रा सत्यापित न करवाने का कारण स्पष्ट किया जाए। अतः अविलम्ब, किसी प्रकार के दुरूपयोग को नकारते हुए वाँछित कार्यवाही अमल में लाकर

अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए तथा भविष्य में नियमानुसार अभिलेख का रख रखाव सुनिश्चित किया जाए।

(ग) नियमानुसार गाड़ी में जब–जब तेल डलवाया जाता है उस दिन, जिस पैट्रोल पम्प में तेल डलवाया जाता है उसकी मोह सहित डलवाए गये तेल का प्रमाण पत्र ईन्द्राज करवाया जाता है। लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि लॉग बुक के पृष्ठ संख्या 101 पर दिनाँक 11.4.2012 को डलवाए गये तेल 40 लीटर का प्रमाण पत्र लिया गया जबकि पृष्ठ पर माह 5/2012 में की गई यात्राओं का विवरण ईन्द्राज है। पृष्ठ 102 पर दिनाँक 29.5.12 को डलवाये गये 40 लीटर तेल का प्रमाण पत्र लिया गया है जबकि पृष्ठ पर माह 6/2012 में की गई यात्राओं का विवरण दिया गया है। इसी प्रकार पृष्ठ 103 पर दिनाँक 20.6.2012 को डलवाये गये तेल 40 लीटर का प्रमाण पत्र लिया गया है जबकि पृष्ठ पर माह 7/2012 में की गई यात्राओं का विवरण ईन्द्राज है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि या तो जिस दिन तेल डलवाया गया दर्शाया गया है उस दिन या तो तेल नहीं डलवाया गया अथवा गाड़ी की लॉग बुक बाद में भरी गई जो एक गम्भीर चूक है। अतः जाँच उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा की गई कार्यवाही को नियमानुसार उचित ठहराया जाए तथा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में उचित कार्यवाही अमल में लाकर की गई कायवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) 135 लीटर तेल का सम्भावित दुरूपयोग करने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि निम्न वर्णित भुगतानों में गाड़ी की लॉग बुक के अनुसार कोई तेल नहीं डाला गया है क्योंकि सम्बन्धित पैट्रोल पम्प द्वारा तेल डाल कर अपनी मोहर लगाकर उसे सत्यापित नहीं किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है तेल का दुरूपयोग किया गया है जो एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उच्च स्तरीय जाँच उपरान्त व उचित कार्यवाही अमल में लाकर, की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। दुरूपयोग किये गये तेल का विवरण निम्नलिखित हैः–

वा0सं0/माह	वाहन संख्या	बिल संख्या/दिनाँक जिसके अन्तर्गत तेल	डलवाए गये तेल	राशि (₹)	टिप्पणी

		डलवाया दर्शाया गया	की मात्रा		
14 माह 7/2012	एच0पी0 37–4747	19 दिनाँक 17.4.2012	40 लीटर	₹1816	
14 माह 7/2012	एच0पी0 37–0366	14527 दिनाँक 16.6.2012	25 लीटर	₹1135	
14 माह 7/2012	एच0पी0 37–0366	78287 दिनाँक 18.5.2012	30 लीटर	₹1362	लॉग बुक अनुसार इस
4 माह 7/2013	एच0पी0 37–9306	56 दिनाँक 15.5.2013	40 लीटर	₹1958	दिन गाड़ी चली ही नहीं
			कुल राशि	**₹6271**	

(iv) वाऊचर संख्या 10 माह 7/2013 के अन्तर्गत ₹2700/– अग्रधन के रूप में परिषद के वाहन चालकों श्री प्यार चन्द व गोविन्द सिंह को वाहन संख्या 37–6133 व वाहन संख्या 37–0366 की पासिंग व्यय वहन करने हेतु प्रदान किये गये इस भुगतान में निम्नलिखित चूक पाई गई जिनका निपटारा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये।

इस राशि के समायोजन के समर्थन में 4 बिल प्रस्तुत किए गये।

क्र0सं0	**रसीद संख्या**	**वाहन संख्या**	**विवरण**	**राशि (₹)**
1	AE 43628	37–6133	Fitness Certificate	380
2	AE 43626	37–0365	Tax	1500
3	–	उपरोक्त दोनों वाहन	प्रदूषण जाँच	180
4	–	37–6133	पासिंग फीस	330
				2390

जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा शेष बची राशि ₹310/– (2700–2390) को परिषद खाते में जमा नहीं करवाया गया है व राशि का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। अतः जाँच उपरान्त उचित कार्यवाही अमल में लाकर व राशि वसूल कर आगामी अंकेक्षण में की गई कार्यवाही सत्यापित करवाई जाए।

(ख) संलग्न चारों बिलों में से एक भी बिल सक्षम अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित व समायोजन हेतु पारित नहीं किया गया है जिसका कारण स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी से इस सन्दर्भ में स्वीकृति प्राप्त कर व बिल पारित करवाकर की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अनियमित तरीके से किये व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए।

(ग) क्रम संख्या 3 व 4 पर वर्णित समायोजन वाउचर डुप्लीकेट वाउचर है, वास्तविक वाउचर के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जिसका कारण दिया जाए तथा इस सन्दर्भ में जाँच उपरान्त यह प्रमाणित किया जाए कि वास्तविक वाउचर का इससे पूर्व भुगतान नहीं किया गया है। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

24 **(i)** वाऊचर संख्या 2 माह 7/2013 के अन्तर्गत मै0 अजय ऐन्टर प्राईजेज को ₹28580/– का भुगतान, टैस्ट हाऊस में लगाने हेतु 2 एल0सी0डी0 टीवी की खरीद करने पर किया गया। वाउचर संख्या 3 के अन्तर्गत 2 पंखों की खरीद करने पर मै0 नीरज एजेन्सी को ₹2300/– का भुगतान किया गया। इन वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टि रेस्ट हाऊस के स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 22 पर क्रम संख्या 13 व 14 पर लेकर नये बने कमरों में लगाया गया दर्शा कर स्टॉक से खारिज कर दिया गया। सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की जाँच में स्टॉक के रख–रखाव में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई जिनका निपटारा कर की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि स्टॉक का रख–रखाव सुचारू रूप से हो सके व किसी प्रकार के दुरूपयोग को नकारा जा सके।

(क) स्टॉक रजिस्टर के एक ही पृष्ठ पर भिन्न–भिन्न वस्तुओ का इकटठा ईन्द्राज लिया गया है। जैसे पृष्ठ 22 पर गीज़र, हीटर, पानी का फिल्टर, रैफ्रीजरेटर, टी0वी0 इत्यादि का ईन्द्राज लिया गया है पृष्ठ 20 पर पंखे, पम्प, टयूब लाईट इत्यादि का ईन्द्राज लिया गया है जबकि नियमानुसार स्टॉक में प्रविष्टि प्रत्येक मदानुसार (Item wise) की जानी अपेक्षित है जिसके न करने के कारण एक प्रकार की वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टि अलग–अलग पृष्ठों में की गई है तथा जिस कारण स्टॉक में वस्त की कुल मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता है उदाहरण के रूप में स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 20 व 22 पर समय–समय पर खरीदे गये पंखों का अन्य

सामान के साथ इकटठा ईन्द्राज लिया गया है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी मदानुसार स्टॉक प्रविष्टि करने बारे परामर्श दिया गया था परन्तु विभाग द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई जो एक चिन्तनीय विषय है। अतः मदानुसार कार्यवाही न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब वाँछित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ii) स्टॉक रजिस्टर कि जाँच में पाया गया कि समय समय पर खरीदी गई सभी वस्तुऐं रैस्ट हाऊस के विभिन्न कमरों को जारी की गई दर्शा कर स्टॉक से खारिज कर दी गई व स्टॉक को शून्य दर्शाया गया है जबकि यह सभी स्थाई वस्तुऐं थी। अतः की गई कार्यवाही को नियमानुसार उचित ठहराया जाए तथा परामर्श दिया जाता है कि प्रत्येक कमरे के अनुसार उसके स्टॉक से सम्बन्धित अलग अलग सम्बन्धित तैयार किया जाए ताकि प्रत्येक कमरे के स्टॉक की गणना सुगमता से की जा सके।

(iii) जाँच में पाया गया क रैस्ट हाऊस के सामान का कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा नियमानसार अभिलेख तैयार कर व प्रत्यक्ष सत्यापन कर की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा किसी प्रकार की अनियमितता की अवस्था में उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

25 वाऊचर संख्या 3 व 4 माह 8/2012 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र कटोच मालिक बाबा कन्स्ट्रक्शन को जे0सी0बी0 व टिप्पर द्वारा कूड़ा दबाने व मिट्टी फैंकने के कार्य हेतु निम्नविवरणानुसार कुल ₹93833/– का भुगतान किया गया। अंकेक्षण में जाँच उपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईः–

वा0सं0	बिल सं0	विवरण	राशि
3	114 दिनाँक 26.4.12	दिनाँक 6.4.2012 से 26.4.2012 तक जे0सी0बी0 द्वारा करवाया गया कार्य 46.50 घंटे दर 1000=46833 टिप्पर का कार्य 5 दिन दर ₹3000=₹15000	61833

		प्रतिदिन	
4	65 दिनाँक 21.2.12	दिनाँक 2.11.11 से 25.1.12 तक जे0सी0बी0 द्वारा करवाया गया कार्य 32 घण्टे दर ₹1000=32000	32000

(क) नगर परिषद की मासिक 28.3.2012 को सम्पन्न हुई साधारण बैठक के प्रस्ताव संख्या 281 कूड़ा कचरा घटाने के बिलों को पारित करने बारे विचार विमर्श में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मै0 बाबा कन्स्ट्रक्शन के दो बिलों को भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है। परन्त् प्रस्ताव में बिलों का भुगतान की राशि इत्यादि का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया जिसका अभाव में भुगतान की गई राशि की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नगर परिषद की बैठक में परिषद की स्वीकृति प्राप्त करते समय प्रत्येक बिल का विवरण जैसे बिल संख्या व राशि का उल्लेख किया जाए ताकि परिषद से वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो सके।

(ख) बिल संख्या 114 दिनाँक 26.4.2012 के अन्तर्गत जे0सी0बी0 कार्य 46.50 घण्टे हेतु ₹1000/–प्रति घण्टे की दर पर कुल ₹46500/– की जगह ₹46833/– का भुगतान किया गया। अतः किये गये अधिक भुगतान ₹333/– की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) मै0 बाबा कन्स्ट्रक्शन को कार्य करने हेतु परिषद द्वारा दिया गया आदेश/Award letter साथ संलग्न नहीं था जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि Award letter जारी नहीं किया गया। अतः जिन आदेशों के अन्तर्गत मै0 बाबा कन्स्ट्रक्शन द्वारा यह कार्य किया गया उन्हें आगामी अंकेक्षण में दर्शाकर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाए।

(घ) बिल संख्या 114 दिनाँक 26.4.2012 के अन्तर्गत 5 दिन तक टिप्पर कार्य हेतु ₹3000/– प्रति दिन की दर पर ₹15000/– का भुगतान किया गया परन्तु यह कार्य किन दिनों में किया गया उसका कोई विस्तृत प्रमाण नहीं दिया गया जिसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा जिन दिनो में कार्य किया गया उन दिनो की गाड़ी को लॉग बुक की छाया प्रति प्राप्त कर व सत्यापित कर उसे आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाए।

26 वाउचर संख्या 18 माह अगस्त 2012 के अन्तर्गत ₹10000/– अग्रधन के रूप में श्री हेम राज का पड़ काटने व स्लीपर बनाने हेतु प्रदान किये गये। इस राशि के समायोजन से सम्बन्धित कोई अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में दर्शा

कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त जिन पेड़ो को काटने हेतु यह राशि प्रदान की गई उनसे सम्बन्धित वन विभाग से प्राप्त स्वीकृति तथा तदानुसार दर्शाए गय साईज के अनुसार प्राप्त लकड़ी (बालन व स्लीपर) का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसे अब तैयार किया जाए तथा भण्डारण रजिस्टर को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाए।

27 **(i)** वाऊचर संख्या 7 माह 8/2012 के अन्तर्गत नगर परिषद द्वारा विभिन्न कार्यों के विज्ञापनों पर कुल ₹11383/– का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	**समाचार पत्र का नाम**	**राशि (₹)**
1	पंजाब केसरी, बिल संख्या 1001912986	₹6117
2	दिव्य हिमाचल, बिल संख्या 136446	₹2766
3	दिव्य हिमाचल, बिल संख्या 122455	₹2500

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा समय–समय पर दिये गये विज्ञापनों से सम्बन्धित कोई अलग से अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिससे पता चल सके कि वर्ष में कुल कितने विज्ञापन दिये गये व किस किस कार्य के विज्ञापन पर कितनी राशि व्यय की गई। अतः विज्ञान के सन्दर्भ में अलग से स्टॉक रजिस्टर न लगाने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब स्टॉक रजिस्टर लगाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि विज्ञापनों पर किये जा रहे व्यय पर नियन्त्रण रखा जा सके व किसी दोहरे भुगतान को भी नकारा जा सके।

(ii) वाऊचर संख्या 23 माह 8/2012 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम की रैस्ट हाउस के विद्युत बिल ₹2230/– का भुगतान किया गया। जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा जो भी विद्युत बिलों का भुगतान किया जाता है उनकी कोई भुगतान चैक रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है जिस कारण दोहरे भुगतान की सम्भावना बनी रहती है। अतः अपेक्षित अभिलेख अब तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) वाऊचर संख्या 31 माह 8/2012 के अन्तर्गत ₹11010/–का भुगतान श्री सोहन लाल सफाई कर्मचारी को उसके वेतन माह जुलाई 2012 देय माह अगस्त 2012 के भुगतान स्वरूप

किया गया। अतः प्रार्थी की कोई वास्तविक पावती रसीद (APR) आडिट में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में किये गये भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण उक्त राशि के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता जिस बारे वास्तविक स्थिति से आडिट को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

28 **लघु आपत्ति विवरणिकाः**—यह अलग से जारी नहीं की गई।

29 **निष्कर्षः**— लेखाओ में अधिक सुधार की आवश्यकता है। अतः अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरा ग्राफस, रोकड़ बही एवं भण्डार रजिस्टर के ठीक रख रखाव की ओर उचित ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है।

हस्ता / —

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः V (3)/-फिन(एल0ए0डी0)—2010— खण्ड—2—1797—1798 दिनांक 06.04.15, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002
2. सचिव, नगर परिषद पालमपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर अंकेक्षण विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "क"   पैरा 1 (क) में वर्णित

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/68 से 3/73

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–23	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/75 से 03/78

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–21 (क) 1 व 5	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/78 से 03/80

1	पैरा–9 (2 व 3)	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/82 से 3/85

1	पैरा–16 (5)	अनिर्णीत
2	पैरा–16 (20)	अनिर्णीत
3	पैरा–18 (7)	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेंदन अवधि 04/85 से 03/89

1	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–12 (2, 3 व 4)	अनिर्णीत
3	पैरा–15 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा–15 (22)	अनिर्णीत
5	पैरा–15 (23)	अनिर्णीत
6	पैरा–15 (25)	अनिर्णीत
7	पैरा–15 (26)	अनिर्णीत
8	पैरा–15 (29)	अनिर्णीत
9	पैरा–15 (30) एफ व जी	अनिर्णीत
10	पैरा–15 (37)	अनिर्णीत

11	पैरा–15 (38)	अनिर्णीत
12	पैरा–15 (39)	अनिर्णीत
13	पैरा–15 (42)	अनिर्णीत
14	पैरा–15 (54)	अनिर्णीत
15	पैरा–15 (56)	अनिर्णीत
16	पैरा–15 (61)	अनिर्णीत
17	पैरा–15 (70)	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/89 से 03/94

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–11	अनिर्णीत
5	पैरा–14	अनिर्णीत
6	पैरा–15	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/94 से 03/97

1	पैरा–6 (क व ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (क, ख व ग)	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–11	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (ख व ग)	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–16	अनिर्णीत
8	पैरा–17 (1, 3 व 4)	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/97 से 03/05

1	पैरा–3 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (1) व (2)	अनिर्णीत

6	पैरा–10	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा लिये गये निर्णय व प्रस्ताव संख्या 90 दिनाँक 11.7.10 व 469 दिनाँक 26.12.2013 अनुसार)
7	पैरा–11	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा लिये गये निर्णय व प्रस्ताव संख्या 90 दिनाँक 11.7.10 व 469 दिनाँक 26.12.2013 अनुसार)
8	पैरा–12	अनिर्णीत	
9	पैरा–13	अनिर्णीत	
10	पैरा–14	अनिर्णीत	
11	पैरा–16	निर्णीत	(वर्तमान रिपोर्ट में पुनः प्रारूपित)
12	पैरा–17	अनिर्णीत	
13	पैरा–18	अनिर्णीत	
14	पैरा–19	अनिर्णीत	
15	पैरा–20 (1) व (3)	अनिर्णीत	
16	पैरा–21	अनिर्णीत	
17	पैरा–22	अनिर्णीत	
18	पैरा–23	अनिर्णीत	
19	पैरा–26	अनिर्णीत	
20	पैरा–27	अनिर्णीत	
21	पैरा–28 (1) से (3)	अनिर्णीत	
22	पैरा–30 (क)	अनिर्णीत	
23	पैरा–30 (ख)	अनिर्णीत	
24	पैरा–31	अनिर्णीत	
25	पैरा–32	अनिर्णीत	
26	पैरा–33	अनिर्णीत	
27	पैरा–34	अनिर्णीत	
29	पैरा–35	अनिर्णीत	
30	पैरा–36	अनिर्णीत	
31	पैरा–37	अनिर्णीत	

32	पैरा—38	अनिर्णीत	
33	पैरा—39	अनिर्णीत	
34	पैरा—40	अनिर्णीत	
35	पैरा—41	अनिर्णीत	
36	पैरा—42	अनिर्णीत	
37	पैरा—43 (1) व (2)	अनिर्णीत	
38	पैरा—44	निर्णीत	(परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 577 (3) 6 दिनाँक 30.4.10 द्वारा के अनुसार)
39	पैरा—45	अनिर्णीत	
40	पैरा—46	अनिर्णीत	
41	पैरा—49	अनिर्णीत	
42	पैरा—50	अनिर्णीत	
43	पैरा—51	अनिर्णीत	
44	पैरा—52	अनिर्णीत	
45	पैरा—54	अनिर्णीत	
46	पैरा—55	अनिर्णीत	
47	पैरा—56	अनिर्णीत	
48	पैरा—57	अनिर्णीत	
49	पैरा—59	अनिर्णीत	
50	पैरा—60	अनिर्णीत	
51	पैरा—61 (1) (2)	निर्णीत	(बैजनाथ कमेटी का अतिरिक्त कार्यभार के कारण यात्राएं की गई)
52	पैरा—62	अनिर्णीत	
53	पैरा—63	अनिर्णीत	
54	पैरा—64	अनिर्णीत	
55	पैरा—66	अनिर्णीत	
56	पैरा—67	अनिर्णीत	
57	पैरा—68	अनिर्णीत	

अंकेक्षण एवं निरीक्षण अवधि 4/05 से 3/07

1	पैरा–2 (8) (क)	अनिर्णीत	
2	पैरा–2 (8) (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–2 (10)	अनिर्णीत	
4	पैरा–4 (1) (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा–4 (1) (ग)	अनिर्णीत	
6	पैरा–4 (1) (घ)	अनिर्णीत	
7	पैरा–4 (1) (ड.)	अनिर्णीत	
8	पैरा–4 (1) (च)	अनिर्णीत	
9	पैरा–4 (2)(ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा–4 (2)(ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा–4 (3) (घ)	अनिर्णीत	
12	पैरा–4 (3)	अनिर्णीत	
13	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत	
14	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत	
15	पैरा–6 (2)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 97 दिनाँक 27.11.06 व की गई कार्यवाही अनुसार)
16	पैरा–6 (4)	अनिर्णीत	
17	पैरा–6 (5)	अनिर्णीत	
18	पैरा–6 (6)	अनिर्णीत	
19	पैरा–7 (1) (क)	अनिर्णीत	
20	पैरा–7 (1)(ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा–7 (1) (घ)	अनिर्णीत	
22	पैरा–7 (1) (ड.)	अनिर्णीत	
23	पैरा–7 (1) (च)(i, ii, iii)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा किये गये भुगतान को न्यायोचित ठहराने

		उपरान्त)
24	पैरा–7 (1) (छ)	अनिर्णीत
25	पैरा–7 (1) (ज)	अनिर्णीत
26	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत
27	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत
28	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
29	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत
30	पैरा–10 (4)	अनिर्णीत

गत आपत्ति विवरणिकाएंः–

क्र0सं0	**अवधि**	**बकाया मद**
1	04/57 से 03/58	अनिर्णीत 42 व 49
2	04/58 से 3/59	13, 27 व 32
3	04/59 से 03/60	14 व 33
4	04/60 से 03/62	11
5	04/62 से 03/63	12 (4), 14 व 18
6	04/63 से 03/64	10 व 15
7	04/75 से 03/78	4 (4 से 6) व 5
8	04/78 से 03/80	1 (ए व बी) व 6 सी

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/07 से 03/2010

1	पैरा–2 (6)	अनिर्णीत
2	पैरा–2 (8)	अनिर्णीत
3	पैरा–2 (9)	अनिर्णीत
4	पैरा–2 (10)	अनिर्णीत
5	पैरा–2 (11)	अनिर्णीत
6	पैरा–2 (12)	अनिर्णीत
7	पैरा–2 (13)	अनिर्णीत
8	पैरा–2 (14)	अनिर्णीत

9	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत	
10	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत	
11	पैरा–4 (3)	अनिर्णीत	
12	पैरा–4 (4) (क)	अनिर्णीत	
13	पैरा–4 (4) (ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा–4 (4) (ग)	अनिर्णीत	
15	पैरा–4 (4) (घ)	अनिर्णीत	
16	पैरा–4 (4) (ङ)	अनिर्णीत	
17	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत	
18	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत	
19	पैरा–5 (3)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर व की गई कार्यवाही जिसमें गृहकर वसूली अधिभार शुरू कर दी गई है के अनुसार)
20	पैरा–5 (4)	अनिर्णीत	
21	पैरा–5 (5)	अनिर्णीत	
22	पैरा–5 (6)	अनिर्णीत	
23	पैरा–6 (1)	निर्णीत	(वर्तमान रिपोर्ट में पुनः प्रारूपित)
24	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत	
25	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत	
26	पैरा–6 (4)	अनिर्णीत	
27	पैरा–6 (5)	अनिर्णीत	
28	पैरा–6 (6)	निर्णीत	(₹100 जी–8 नं0 1/86 दिनाँक 8.12.14 द्वारा जमा करवा दिये गये)
29	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत	
30	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत	
31	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत	
32	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत	
33	पैरा–7 (5)	अनिर्णीत	
34	पैरा–7 (6)	अनिर्णीत	

35	पैरा–7 (7)	अनिर्णीत	
36	पैरा–7 (8)	अनिर्णीत	
37	पैरा–7 (9) (क)	अनिर्णीत	
38	पैरा–7 (9) (ख)	अनिर्णीत	
39	पैरा–7 (10)	अनिर्णीत	
40	पैरा–7 (11)	अनिर्णीत	
41	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत	
42	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत	
43	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत	
44	पैरा–8 (4)	अनिर्णीत	
45	पैरा–8 (5)	अनिर्णीत	
46	पैरा–8 (6)	अनिर्णीत	
47	पैरा–8 (7)	अनिर्णीत	
48	पैरा–8 (8)	अनिर्णीत	
49	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत	
50	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत	
51	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत	
52	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत	
53	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत	
54	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत	
55	पैरा–11 (2)	अनिर्णीत	
56	पैरा–11 (3)	अनिर्णीत	
57	पैरा–12	निर्णीत	(अब आय समय पर जमा करवाई जा रही है)
58	पैरा–13 (1) (क)	अनिर्णीत	
59	पैरा–13 (1) (ख)	अनिर्णीत	
60	पैरा–13 (1) (ग)	अनिर्णीत	
61	पैरा–13 (1) (घ)	अनिर्णीत	
62	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत	

63	पैरा–13 (3)	अनिर्णीत	
64	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत	
65	पैरा–13 (5)	अनिर्णीत	
66	पैरा–14 (क)	अनिर्णीत	
67	पैरा–14 (ख)	अनिर्णीत	
68	पैरा–14 (ग)	अनिर्णीत	
69	पैरा–14 (घ)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा–3	निर्णीत	(आडिट फीस भेज दी गई है)
2	पैरा–4.1	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
3	पैरा–4.2	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
4	पैरा–4.3	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
5	पैरा–4.4	निर्णीत	(खाते को बन्द कर दिनाँक 31.10.2012 को म्यूनिसिपल फण्ड में जमा कर दिया गया)
6	पैरा–4.5	निर्णीत	(खाते को बन्द कर दिनाँक 31.10.2012 को म्यूनिसिपल फण्ड में जमा कर दिया गया)
7	पैरा–4.6	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
8	पैरा–4.7	अनिर्णीत	
9	पैरा–5	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
10	पैरा–5.1	अनिर्णीत	
11	पैरा–5.2	अनिर्णीत	
12	पैरा–6	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
13	पैरा–6.1	अनिर्णीत	
14	पैरा–6.2	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
15	पैरा–6.2.1	अनिर्णीत	
16	पैरा–6.2.2	अनिर्णीत	

17	पैरा–7	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
18	पैरा–7.1	निर्णीत	(दिये गये उत्तर व की गई कार्यवाही अनुसार)
19	पैरा–7.2	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार व की गई कार्यवाही जिसमें धारा 65 में दर निर्धारण हेतु परिषद सक्षम है तथा गृह कर दी दर वर्ष 2014–15 से 9½**%** करने के कारण)
20	पैरा–7.3	अनिर्णीत	
21	पैरा–7.4	अनिर्णीत	
22	पैरा–7.5	निर्णीत	(की गई कार्यवाही अनुसार)
23	पैरा–7.6	अनिर्णीत	
24	पैरा–7.7	अनिर्णीत	
25	पैरा–7.8	अनिर्णीत	
26	पैरा–7.9 (i)	अनिर्णीत	
27	पैरा–7.9 (ii)	अनिर्णीत	
28	पैरा–7.10	अनिर्णीत	
29	पैरा–7.11	अनिर्णीत	
30	पैरा–7.12	अनिर्णीत	
31	पैरा–8	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार व बजट के पारित होने के कारण)
32	पैरा–8.1	निर्णीत	(₹7372/– रसीद संख्या 99/85 व राशि ₹1908 रसीद संख्या 100/85 द्वारा वसूल कर दिये गये)
33	पैरा–8.2	निर्णीत	(वर्ष 2013–14 से ई0सी0आर0 लगा दिया गया)
34	पैरा–8.3	अनिर्णीत	
35	पैरा–8.4	अनिर्णीत	
36	पैरा–8.5	अनिर्णीत	

37	पैरा–9	निर्णीत	(प्रस्ताव संख्या 599 दिनाँक 7.11.2014 में पारित प्रस्ताव व कार्योत्तर स्वीकृति अनुसार)
38	पैरा–9.1	अनिर्णीत	
39	पैरा–9.2	निर्णीत	(यू0डी0 के पत्रांक UDC (15) 2/98 दिनाँक 20.6.07 के अनुसार)
40	पैरा–9.3	अनिर्णीत	
41	पैरा–9.4	अनिर्णीत	
42	पैरा–9.5	अनिर्णीत	
43	पैरा–9.6	अनिर्णीत	
44	पैरा–9.7	अनिर्णीत	
45	पैरा–9.8	अनिर्णीत	
46	पैरा–9.9	अनिर्णीत	
47	पैरा–9.10	अनिर्णीत	
48	पैरा–9.11	अनिर्णीत	
49	पैरा–9.12	अनिर्णीत	
50	पैरा–9.13	अनिर्णीत	
51	पैरा–9.14	अनिर्णीत	
52	पैरा–9.15	अनिर्णीत	
53	पैरा–9.16	अनिर्णीत	
54	पैरा–10	अनिर्णीत	
55	पैरा–10.1	अनिर्णीत	
56	पैरा–10.2	अनिर्णीत	
57	पैरा–10.3	अनिर्णीत	
58	पैरा–10.4	अनिर्णीत	
59	पैरा–10.5	अनिर्णीत	
60	पैरा–10.6	अनिर्णीत	
61	पैरा–10.7	अनिर्णीत	

62	पैरा–10.8	अनिर्णीत	
63	पैरा–11	अनिर्णीत	
64	पैरा–11.1	अनिर्णीत	
65	पैरा–12	अनिर्णीत	
66	पैरा–12.1	अनिर्णीत	
67	पैरा–12.2	निर्णीत	(राशि ₹542 रसीद संख्या 2/86 दिनाँक 8.12.14 द्वारा जमा करवा दिये गये)
68	पैरा–13	अनिर्णीत	
69	पैरा–13.1	अनिर्णीत	
70	पैरा–14	अनिर्णीत	
71	पैरा–14.1	अनिर्णीत	
72	पैरा–15	अनिर्णीत	